न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू जिला दूदू

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 02/2022

भंवर लाल पुत्र रूघा जाति बलाई निवासी गैजी थाना दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्रवण पुत्र भींवा जाति बलाई निवासी गैजी थाना दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0
2. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी श्रवणलाल जाति बलाई निवासी गैजी थाना दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0
3. हनुमान पुत्र श्रवणलाल जाति बलाई निवासी गैजी थाना दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0
4. सीताराम पुत्र श्रवणलाल जाति बलाई निवासी गैजी थाना दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0
5. कालू पुत्र श्रवणलाल जाति बलाई निवासी गैजी थाना दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0
6. रमेश पुत्र श्रवणलाल जाति बलाई निवासी गैजी थाना दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0

(अप्रार्थीगण)

ना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार दूदू मुकान मौजमाबाद जिला जयपुर दिनांक 23.5.1968

उपस्थित :–

1. श्री भैरू लाल शर्मा विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री नारायण सहाय शर्मा विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :– 20.08.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गैजी तहसील दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू का प्रथम सेटलमेंट सम्वत 2011 में हुआ था जब विवादित भूमि ख0न0 913/2 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा अन्य भूमि के साथ सरकारी सिवायचक दर्ज रही है। उक्त भूमि तहसीलदार आदेश के द्वारा श्रवण पुत्र भींवा जाति बलाई निवासी गैजी तहसील दूदू के हक में गलत आवंटन कर दी गयी। चूंकि श्रवण पुत्र भीवा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम गैजी में निवास

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

नही करता था। रूघा के तीन लकडे कमशः श्रवण, भवंरलाल, रामलाल पुत्रान रूघा जाति बलाई नि0 गैजी रहे है। जिनकी प्रमाणिकता विरासत नामान्तरकरण संख्या 476 दिनांक 09.06. 1981 से होती है। उक्त भूमि में प्रार्थी के द्वारा जमाना जागिर से कब्जा होने से मौके पर कुआ का निर्माण कर काबिज काश्त है। परन्तु श्रवण पुत्र रूधा द्वारा बईमानी से जालसाजी एवं छल कपट कर बिना आवंटन की प्रकिया की पालना किये, बिना आवंटन पत्रावली तैयार किये, फर्जी तरीके से उक्त आवंटन दर्ज करवा लिया । जबकि मौके पर रूधा पुत्र किशना वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट काबिज रहा है। परन्तु बिना प्रार्थी को कब्जे से बेदखल किये अपने पिता का नाम फर्जी दर्ज करवाकर नुमायशी इन्द्राज के आधार पर तत्कालीन राज कर्मचारियो से सांठगांठ कर आवटंन आदेश दिनांक 23.5.1968 दर्ज करवाया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से ग्राम गैजी में कोई व्यक्ति नही है। अप्रार्थी संख्या 2 ल0 5 के पिता/पति श्रवण पुत्र रूधा का स्वर्गवास दिनांक 15.8.2022 को हो चुका है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ल0 5 उक्त भूमि पर जबरदस्ती, अवैध इन्द्राज के आधार पर अवैध निर्माण करने पर आमादा है। उक्त आवंटन का हवाला केवल नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 1.2. 1970 ग्राम पंचायत पडासौली के समक्ष प्रस्तुत कर तस्दीक करवाकर गैर खातेदारी प्रदान की गई है। जो गलत एवं अवैध आवंटन के आधार पर श्रवण पुत्र भींवा के दर्ज की गई है। उक्त आवंटन पत्रावली विगत 3 माह के अथक प्रयासों से आज तक भी नही मिली है जिससे स्पष्ट है कि आवंटन आदेश दिनांक 23.5.1968 आवंटन नियमों के तहत नही किया और नुमायशी आवंटन बिना कोई प्रक्रिया अपनाये फर्जी वल्दीयत दर्ज करवाते हुये करवाया गया है तथा उक्त आवंटन एवं नामान्तकरण दर्ज किये जाने से एवं अवैध होने से निरस्तनीय है। श्रवण पुत्र रूघा द्वारा राज्य सरकार को धोखे में रखते हुए राज कर्मचारियो से सांठगांठ कर फर्जी आवंटन आदेश का हवाला देकर नामा. सं. 209 गैर खातेदारी इसके बाद बिना जॉच व नियमों की पालना किये खातेदारी में दर्ज करवा लिया। जबकि वास्तविकता में श्रवण पुत्र भींवा के नाम से ग्राम गैजी में इस नाम का कोई व्यक्ति नही है। श्रवण पुत्र रूघा द्वारा श्रवण पुत्र भींवा बनते हुए विवादित भूमि का दान पत्र फर्जी, छलकपट, एवं बईमानी के उदेश्य से अपने पिता रूघा पुत्र किशना की विरासतन अधिकार प्राप्त करने के पश्चात विवादित भूमि का दान पत्र दिनांक 27.11.2014 को उप पंजीयक दूदू में पंजीबद्व करवाकर अप्रार्थी संख्या 2 के हक में नुमायशी नामान्तकरण संख्या 1739 दिनांक 25.12.2014 दर्ज करवाया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। श्रवण पुत्र रूघा का आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड आवेदन पत्र, राशन कार्ड, विरासत नामा. सं. 476 व ग्राम पंचायत गैजी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित है कि श्रवण, रूघा का जायन्दा वारिस एवं उत्तराधिकारी है तथा श्रवण पुत्र भींवा नाम से कोई व्यक्ति ग्राम गैजी में उत्पन्न नहीं हुआ न ही रहवास किया। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ल0 5 के पिता श्रवण पुत्र रूघा द्वारा असद्भाविक फ्राड एवं मिसरिप्रजंटेशन एवं आवंटन रूल्स के विपरीत कथित आवंटन आदेश करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। भूमिहीन सद्भाविक कृषक को ही भूमि आवटंन हो सकती है परन्तु पे– डिग्री के अनुरूप रूघा पुत्र किशना के पूर्व से ही खातेदारी ख0न0 611, 615, 225/1071 रकबा 25 बीघा 03 विस्वा ग्राम गैजी में खातेदारी रही है तथा श्रवण पुत्र रूघा सामलाती में रहता था जिसने फ्राड एवं मिसरिप्रजंटेशन के द्वारा तथाकथित आवटंन करवाया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आवटंन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। आवटंन के लिए कोई अधिसूचना ही जारी नही की है। आवटंन प्रकिया का पालन नही किया गया है। नियम 2 (III B) of Rajasthan land revenue under land less agriculturist के तहत भूमिहीन सद्भाविक कृषक को ही भूमि आवटंन हो सकती है परन्तु पे–डिग्री के अनुरूप रूघा पुत्र किशना के पूर्व से ही खातेदारी खसरा नम्बर 611, 615, 225/1071 रकबा 25 बीघा 03 विस्वा ग्राम गैजी खातेदारी रही है तथा श्रवण पुत्र रूघा सामलाती में रहता था जिसे फ्राड एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

मिसरिप्रजंटेशन के द्वारा तथाकथित आवंटन करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। मौके पर प्रार्थी एवं रामलाल व श्रवण पुत्र रूघा का वर्तमान में कब्जा काश्त रहा है। इस बाबत श्रवण पुत्र रूघा द्वारा लिखावट की गई है। जिससे प्रमाणित है कि उक्त आवटंन निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 के हक में किये गये फर्जी दानपत्र बाबत प्रार्थी के द्वारा जरिये न्यायालय 420, 467, 468, 120 बी के तहत परिवाद प्रस्तुत कर पुलिस थाना दूदू में रिपोर्ट दर्ज करवायी जा रही है। उक्त आवटंन आदेश स्वतः ही अवैध है इसलिए मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। रफा ए उज्जत अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम की प्रार्थना पत्र कर इजाजत प्राप्त कर ली गयी है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृर्षि प्रयोजनार्थ) भूमि आवटंन नियम 1970 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार दूदू मुकाम मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू दिनांक 23.5.1968 बहक श्रवण पुत्र भींवा जाति बलाई निवासी गैजी तहसील दूदू बाबत साबिक ख0न0 913/2 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा ग्राम गैजी जिसके हाल ख0न0 913/1/1 रकबा 1.1805 है0 ग्राम गैजी तहसील दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू जो कि रिकार्ड में आवटंन के नही है तथा पत्रावली भी नही है। आज्ञा दिनांक 26.5.1968 बाबत आवटंन फर्जी एवं मिसरिप्रजन्टेशन से किये जाने से उसके आधार पर किये गये गलत नामान्तरकरण संख्या 209 एवं 468 जो कि धोखे एवं मिसरिप्रजन्टेशन के आधार पर फर्जी वल्दीयत दर्ज कर किया गया है का अमल राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर सिवायचक सरकारी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की एवं अधिस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तलवी जरिये अखबार सामा से कराने के बाद भी उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी संख्या 1 की अनुपस्थिति दर्ज कर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 ल0 6 की तरफ से श्री नारायण सहाय शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 7 ने मूल रिकार्ड जिला अभिलेखागार ने जमा होने से कार्यालय में उपलब्ध नही होना जाहिर किया। वकील प्रार्थी द्वारा आवटंन आदेश दिनांक 23.5.1968 से सम्बंधित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति पेश की गई इसलिए प्रकरण में मूल रिकार्ड तलब नही किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ल0 6 के अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि उनवानी प्रार्थना पत्र ख0न0 913/2 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा भूमि के आवटंन को निरस्त करवाने हेतु पेश किया है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा पैरा संख्या 2 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि श्रवण पुत्र भींवा नामक कोई व्यक्ति ग्राम गैजी में नही है। उक्त भूमि का आवटंन दिनांक 23.5.1968 को हुआ जिसके आवटंन के पश्चात गैर खातेदारी का नामान्तरकरण खुला गैर खातेदारी दर्ज हुई तथा उक्त जमीन में से करीबन 4 बीघा भूमि को विक्रय कर दिया तथा उक्त विक्रय भूमि मे से कुछ भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा किस्म परिवर्तन की जा चुकी है। जिस पर क्रेतागण काबिज है तथा पुख्ता मकान बना लिये है। ख0न0 913/1/1 का दान पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के हक में रजिस्टर्ड दान पत्र से खातेदारी अधिकारी मिल चुके है तथा जिस पर कुआ का निर्माण कर अप्रार्थी संख्या 2 विधुत सम्बंध प्राप्त किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र करीबन 54 वर्ष बाद पेश किया है जबकि आवटंनधारी ने वर्ष 2000, 2001, 2003 में काफी भूमि को विक्रय कर दिया, शेष आराजियात का दान पत्र दिनांक 27.11.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 के हक में किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 जब ग्राम गैजी में ही नही है तो लिखावट की गई तथा आवटंन श्रवण पुत्र भींवा के नाम से स्वंय प्रार्थी स्वीकार करता है तो श्रवण पुत्र रूघा के द्वारा कोई लिखावट होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है तथा अगर कोई लिखावट है तो फर्जी बनावटी है। प्रस्तुत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

प्रार्थना पत्र बाबत जिस प्रकार से फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने बाबत वर्णित किया है जिसमें सिविल नेचन का मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन पेश किया है, इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 3 ल0 6 का कोई सम्बंध एवं सरोकार नही है मात्र काल्पनिक रूप से नाजायज परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 के हक में रजिस्टर्ड दान पत्र है तथा उसे निरस्त करवाये बिना माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अप्रार्थी संख्या 2 के दर्ज खातेदारी के अलावा अन्य केतागण को पक्षकार नही बनाया है तथा आवटंन को खारिज करवाने की हस्तदुआ चाही है जबकि शेष केतागण को पक्षकार नही बनाया है तथा आंशिक आवटंन कानूनन खारिज नही किया जा सकता है। उक्त बिन्दू के आधार पर भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शिकायतकर्ता प्रार्थी ने श्रवण पुत्र भींवा बलाई निवासी गैजी के नाम ख0न0 913/2 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा ग्राम गैजी जिसके हाल ख0न0 913/1/1 रकबा 1.8105 है। आवटंन आदेश दिनांक 27.2.1968 की पालना तहसीलदार आदेश दिनांक 23.5.1968 को राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी का अंकन किया गया है। उक्त आवटंन नियम विरूद्व एवं फर्जी तरीके से छलकपट पूर्वक किया गया है। श्रवण पुत्र भींवा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम गैजी में निवास नही करता है। श्रवण के जैविक पिता का नाम रूघा है जो कि रिकार्ड से प्रमाणित है। जिसके हक में अपने पिता रूघा पुत्र किशना का विरासत नामान्तरकरण संख्या 476 दिनांक 9.6.1981 दर्ज रिकार्ड रहा है। मान्य न्यायालय को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलॉटमेन्ट लेण्ड फॉर एग्रीकल्चर परपज) रूल 1970 के नियम 14(4) के अनुरूप " The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or incase the allottee has committed breach of any of the contitions of allotment " श्रवण पुत्र रूघा द्वारा असदभाविक रूप से आवटंन नियमों के विपरीत धोखें एवं जालसाजी पूर्वक आवटंन आदेश प्राप्त कर लिया है। आवटंन रूल्स 11 के आधार पर आवंटी के पिता रूघा पुत्र किशना के नाम भूमि आराजी ख0न0 611, 615, 228/211 किता 3 रकबा 25 बीघा दर्ज रिकार्ड रही है। जिसमें श्रवण का नोसनल शेयर, हक हकूक एवं अधिकार बनता है। आवटंन रूल्स 11 के विपरीत आवटंन किया गया है। जो नियमो के विरूद्व होने से एवं रूल्स 8, 9, 10,11 में वर्णित प्रावधानो की पालना नही करने से उक्त आवटंन आदेश दिनांक 27.2.1968 निरस्त किये जाने योग्य है। जिसके आधार पर तहसीलदार आदेश दिनांक 23.5.1968 निरस्त किये जाने योग्य है। इसके पश्चात के समस्त इन्द्राज निष्प्रभावी होने निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने योग्य है। तहसीलदार दूदू द्वारा दिनांक 23.5.1968 गैरखातेदारी का अंकन की दिनांक अंकित की गई तथा आवटंन आदेश दिनांक 27.2.1968 बाबत अलग से न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत कर संशोधन हेतु पेश कर दिया है। आवटंन आदेश दिनांक 27.2.1968 को पढा जाकर ही निर्णय पारित फरमाया जावें। शिकायत प्रार्थना पत्र पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। फर्जी एवं छल कपट पूर्वक कराये गये आवटंन की कभी भी शिकायत की जा सकती है। इस प्रकरण में आवटंन नियमो की पालना नही की गई है। इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 ल0 6 के विरूद्व एफआईआर संख्या 561/2022 पुलिस थाना दूदू अन्तर्गत धारा 418, 420,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

464, 467, 468, 471, 420 बी दर्ज करवाई जा चुकी है, जो जैरकार न्यायालय है। अतः साबिक ख0न0 913/2 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 913/1/1 रकबा 1.8105 है0 ग्राम गैजी तह0 दूदू का आवटंन श्रवण पुत्र भींवा गलत वल्दीयत दर्ज करवायी जाकर कपटपूर्वक दिनांक 27.2.1968 का आवटंन आदेश प्राप्त कर तहसीलदार आदेश दिनांक 23.5.1968 को रिकार्ड में अंकन करवाया एवं समस्त पश्चातवर्ती राजस्व रिकार्ड गैर कानूनी एवं अवैध होने से आवटंन आदेश दिनांक 27.2.1968 एवं पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाही निरस्त फरमाया जावें। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में समर्थन में हमारा ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टान्तो की और आकर्षित किया गया :–

1. 2018–19 (Supp.) RRT 338 :
2. 2021 (2) RRT 1140
3. 2021 (1) RRT 124
4. 2021 (1) RRT 212
5. 2021 (1) RRT 371
6. 2021 (1) RRT 740
7. 2019 (1) RRT 400

वकील अप्रार्थी 2 ल0 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्रवण पुत्र भींवा को अप्रार्थी 1 के रूप में पक्षकार कायम किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि इस नाम का व्यक्ति नही है तथा दूसरी तरफ श्रवण को रूघा का पुत्र होना दर्शाया जो स्वंय में ही अस्पष्ट है। न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट करना आवश्यक कि आवटंन श्रवण पुत्र भीवा के नाम हुआ है तथा आवटंन के पश्चात आवटंन कर्ता ने करीबन 4 बीघा भूमि का बैचान कर दिया तथा तहसीलदार मौजमाबाद से भूमि कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन भी हो चुकी है। कुछ भूमि आईआरसी से प्रभावित होने पर पीडब्लूडी ने भी ले ली है, शेष आराजियात का रजिस्टर्ड दान पत्र मृतक श्रवण पुत्र भींवा ने अप्रार्थी संख्या 2 के नाम किया है। अप्रार्थी संख्या 2 मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की जिससे स्पष्ट है कि आवटंन सही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त वादग्रस्त भूमि में से बैचान कर दिया है, ने केताओ को पक्षकार नही बनाया है। इसलिए पार्टली भूमि आवटंन आदेश निरस्त नही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 ने कुआ बनाकर विधुत कनेक्शन लेकर काबिज काश्त है एवं अपने परिवार को पालन पोषण कर रही है। अप्रार्थी संख्या 2 के हक में रजिस्टर्ड दान पत्र से खातेदार काश्तकार है। इसलिए जब तक दान पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवा लेते तब तक यह प्रार्थना पत्र में वर्णित आवंटन आदेश निरस्त नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि आवटंन हई है, अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जीवन काल में उक्त आराजियात का आवटंन आदेश की शर्तो के अनुसार मौके पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग किया है। गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार भी प्राप्त हुये है एवं अपने जीवन काल में ही बैचान/दान पत्र भी किये है। खातेदारी अधिकार प्रदान होने के पश्चात धारा 14(4) की कार्यवाही नही की जा सकती है। आवटंन वर्ष 1968 का होना अंकित किया है तथा प्रार्थना पत्र 14(4) वर्ष 2022 में पेश हुआ किया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र मियाद अधि0 पेश नही किया है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रकरण के सम्बंध एफआईआर संख्या 561/2022 पुलिस थाना दूदू में दर्ज हुई है जिसमें अंतिम प्रतिवेदन हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 श्रवण पुत्र भींवा की मृत्यु हो चुकी है। उसके पश्चात प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र नियम 14(4) पेश किया है जिसका अप्रार्थी संख्या 2ल0 6 से कोई सम्बंध सरोकार नही है। अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित नही कर पाया है। इसलिए मय हर्जा खर्चा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्तो की और हमारा ध्यान आकर्षित किया गया :–

1. RRT - 2023 - (2) - 1218
2. RRT - 2009 - (2) – 1273
3. DNJ - 2011 - (2) – 709
4. RRD - 2011 – 571
5. RRT - 2007 - (2) - 1240
6. RRT - 2007 - (2) - 1430
7. RRT - 2007 - (2) - 1183

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र नियम 14(4) में अंकित किया है कि श्रवण पुत्र भींवा जाति बलाई निवासी गैजी तहसील दूदू के हक में गलत आवटंन हुआ है। श्रवण पुत्र भींवा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम गैजी मे नही है। श्रवण पुत्र रूघा द्वारा राज्य सरकार को धोखे में रखते हुए सांठगांढ कर फर्जी आवटंन आदेश का हवाला देकर खातेदारी दर्ज करवा लिया है। इसलिए आवटंन आदेश दिनांक 23.5.1968 निरस्त किया जावे। पत्रावली में प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो व दान पत्र में श्रवण पुत्र भीवा के नाम से विक्रय पत्र व दान पत्र तस्दीक किये गये है। श्रवण पुत्र भीवा द्वारा ही प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि मे से 1115 व.मी. भूमि कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाई गई है। आवटंनधारी ने वर्ष 2000, 2001, 2003 में भूमि का विक्रय कर दिया शेष आराजीयात का दिनांक 27.11.2014 में अप्रार्थी संख्या 2 के हक में रजिस्टर्ड दान पत्र कर दिया है। प्रार्थी यह साबित नही कर पाया कि श्रवण पुत्र भींवा के नाम जो आवटंन हुआ है, वह गलत हुआ है। इसलिए आराजी ख0न0 913/2 रकबा 11 बीघा 04 विस्वा भूमि ग्राम गैजी तह0 दूदू का श्रवण पुत्र भींवा के नाम किया गया आवंटन आदेश दिनांक 23.5.1968 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति. जिला कलक्टर
दूदू (राज0)